sent email on 14-11-14
12:05 P.M.
Archit

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
श्रम, उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

श्रमायुक्त, उ0प्र0
जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्रांकः- 6401 / म0नि0बो0(107)-2014 दिनांकः- 14/11/14

विषय-- निर्माण श्रमिकों हेतु स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय, मूत्रालय एवं रहने की अस्थाई व्यवस्था अधिनियम की धारा -32,33,34,35,36,37 का टीम बनाकर निरीक्षण किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(रोजगार एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम के 1996 की धारा-60 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पत्रांक-यू-23013/02/2014-बी0एल0 दिनांक 16.10.2014 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अधिनियम की धारा - 32, 33, 34, 35, 36 और 37 के अन्तर्गत निजी भवन निर्माण स्थल पर सेवायोजक द्वारा श्रमिकों हेतु स्वच्छ पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, पालना गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा एवं रहने की अस्थाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त का प्रतिपालन हेतु टीम का गठन कर निरीक्षण कराया जाय तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(शैलेष कृष्णा)
प्रमुख सचिव, श्रम